संख्या-62 /2026/I/1325033/2026 /30-3-26-17बी/2016

प्रेषक,

के0पी0 सिंह,

विशेष सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

परिवहन अनुभाग-3 लखनऊ:दिनॉक 11 मई , **2026**

विषय :- वित्तीय वर्ष 2026-27 में मदवार प्राविधानित धनराशि की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-जी 147ए/2026-73ए/2026, दिनांक 23 अप्रैल, 2026 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में परिवहन विभाग की अनुदान संख्या-43 में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष निम्नलिखित विवरण के अनुसार राजस्व पक्ष के अंतर्गत कुल धनराशि रू0 2025.00 लाख एवं पूंजीगत पक्ष के अंतर्गत धनराशि रू0 5500.00 लाख अर्थात कुल धनराशि रू0 7525.00 लाख (रू0 पचहत्तर करोड़ पच्चीस लाख मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए कतिपय शर्तों व प्रतिबन्धों के अधीन, आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0 सं0	लेखाशीर्षक	वित्तीय वर्ष 2026-27 के आय-व्ययक में प्रावधानित धनराशि	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत हेतु धनराशि
	क- **राजस्व पक्ष की योजनाएं :-**		
1	2059-लोक निर्माण कार्य-01-कार्यालय भवन-051-निर्माण-03-अनावासीय भवनों की मरम्मत तथा रखरखाव ।	500.00	500.00
2	विभागीय पोर्टल्स को ए०आई० आधारित डेशबोर्ड से जोड़ा जाना	1000.00	1000.00
3	3055-सड़क परिवहन-800-अन्य व्यय-07-उत्तर प्रदेश अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण।	500.00	500.00
4	3055-सड़क परिवहन-800-अन्य व्यय-08-व्हैकिल लोकेशन ट्रैकिंग योजना का संचालन ।	25.00	25.00
	कुल योग (राजस्व पक्ष) -	2025.00 लाख	**2025.00 लाख**
	ख-पूंजीगत पक्ष की योजनाएं :-		
1	4059-लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय 01-कार्यालय भवन 051-निर्माण-03-परिवहन आयुक्त कार्यालय के भवन ब्लाक-ए पर द्वितीय तल का निर्माण 24-वृहत निर्माण	2000.00	2000.00
2	4059-लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय 01-कार्यालय भवन 051-निर्माण-प्रदेश 21- परिक्षेत्रीय / संभागीय / सहायक संभागीय परिवहन कार्यालयों बरेली, गाजीपुर, फर्रुखाबाद, हापुड़, देवरिया, संभल, जौनपुर, चित्रकूट व चंदौली में सारथी हॉल सहित कार्यालय भवन का निर्माण 24-वृहत निर्माण	3000.00	3000.00
3	5055-सड़क परिवहन पर पूँजीगत परिव्यय-800-अन्य व्यय 06-उत्तर प्रदेश अन्तर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण।	500.00	500.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

	कुल योग (पूंजीगत पक्ष) -	5500.00 लाख	**5500.00 लाख**
	सम्पूर्ण योग (राजस्व एवं पूंजीगत)	7525.00 लाख	**7525.00 लाख**

नियम व शर्ते/प्रतिबन्ध:

(1) विभिन्न परियोजनाओं एवं योजनाओं हेतु अवशेष/अनुवर्ती किश्तों के रूप में निर्गत की जाने वाली उक्त धनराशि को संबंधित एजेंसियों/कार्यदायी संस्थाओं को दिये जाने से पूर्व उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं गुणवत्ता रिपोर्ट आदि उपलब्ध कराते हुए शासन की अनुमति प्राप्त की जायेगी।

(2) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिकाओं के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(3) प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिए है, उसकी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जायेगा।

(4) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 में निहित निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) कार्यों की द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो, इसे भी अपने स्तर से सुनिश्चित कर लेंगे।

(6) योजना की गाइडलाइन्स का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे।

(7) धनराशि का आहरण राजकोष से तात्कालिक आवश्यकता होने पर ही किया जाएगा और धनराशि आहरित करके अनावश्यक रूप से धनराशि बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी।

(8) उक्त व्यय के सम्बन्ध में उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने का उत्तरदायित्व आपका होगा।

2- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,
ह0/-
(के0पी0 सिंह)
विशेष सचिव।

संख्या-62/2026/।/1325033/2026(1)/30-3-2026, तद्दिनाँक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/ वरिष्ठ कोषाधिकारी, कलेक्ट्रेट, लखनऊ।
4- वित्त नियंत्रक, परिवहन आयुक्त कार्यालय, लखनऊ।
5- वित्त (लेखा) अनुभाग-1/वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-9
6- निदेशक, वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, लखनऊ।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ह0/-
(नितिन कुमार गुप्त)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in